

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अरांई

मुकाम अरांई (अजमेर)

• हरिराम पुत्र श्री जमना, जाति जाट, उम्र लगभग बालिग निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज. -वादी

बनाम

• उदा पुत्र मुरा जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज. वगै -प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा- अन्तर्गत धारा 53,188 राज.का. अधि.1955

नंबर 87 / 2022

ऑनलाइन नंबर 2022 / 93...

वकील प्रतिवादीगण

वकील वादी :- योगेश शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2022	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा द्वारा अन्तर्गत धारा 53,188 राज.का.अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वकील वादी को वाद पत्र पर सुना गया। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 16.09.2022 को पेश हो। K.S. उपखण्ड अधिकारी अरांई	28-8
16.09.2022	पत्रावली पेश की वकील प्रतिवादीगण अशर्मा से 38 व 40, 41 के तामीलशुदा सम्मन प्राप्त / प्रतिवादीगण 39 के नोटिस अदम तामील प्राप्त / उन्की मौज्जादी उप. नहीं। P.O. म. रामादिगु बाहर पधारने पत्रावली दिनांक 30/9/2022 को पेश की	
30/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहव अवाकाश पा पेश पत्रावली दिनांक 28/9/22	

